न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/66/2024	2024/153	28.06.2024	23.07.2024

1. राधेश्याम पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण उम्र करीब 50 साल निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. महेश चन्द पुत्र श्री पांचूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।

— अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01—श्री अनिल कुमार प्रजापत —वकील प्रार्थी
02—श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के प्रकरण बउनवान महेश चन्द बनाम शिव लहरी अन्तर्गत धारा 251—ए को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें विगत तारीख पेशी 27.06.2024 नियत थी। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में फैसला करने की गर्ज से जल्दी—जल्दी तारीख पेशी दी जा रही है तथा अप्रार्थी के कहे अनूसार ही उपरोक्त प्रकरण में तारीख पेश नियत की जा रही है। इसलिए मिन प्रार्थी को न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। दिनांक 09.05.2024 को श्रीमान् पीठासीन अधिकारी द्वारा ऑर्डरशीट पर अंकन किया गया था कि श्रीमान् तहसीलदार साहब विवादित स्थल का दिनांक 16.05.2024 को मौका निरीक्षा दोनों पक्षों की उपस्थिति में करके मौका रिपोर्ट न्यायालय श्रीमान् में पेश करें। जिस आदेश के बावजूद आज तक अप्रार्थी के राजनैतिक प्रभाव के कारण तहसीलदार ने मौका निरीक्षण नहीं किया और ना ही कोई रिपोर्ट पेश की है, बल्कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 20.06.2024 को अपने गांव में मिन प्रार्थी से ऐलानिया कहा गया कि अधीनस्थ नयाल के पीठासीन अधिकारी से मेरी बातचीत हो गई है और मेरे अनुसार ही पीठासीन अधिकारी से अपने पक्ष में निर्णय करवा लेंगे और जिसकी तुम्हें जानकारी तक नहीं लगने देंगे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को कई मतर्बा न्यायालय समय में पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने भी दिनांक 21.06.2024 को मिन प्रार्थी को कहा कि जल्दी ही तुम्हारा फैसला कर देंगे। जिससे मौका रिपोर्ट आये बिना ही पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी के प्रभाव व दबाव में आकर निर्णय करने को उतारू हो रहे हैं। इसलिए न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त राजस्व वाद को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है, जिससे मिन प्रार्थी को उक्त प्रकरण में न्याय मिल सकेगा। मिन प्रार्थी को पहले ही इस बात का शक था, परंतु अप्रार्थी के ऐलानिया कहने के बाद प्रार्थी को पूरा विश्वास हो गया है कि तहत अदालत के पीठासीन अधिकरी अप्रार्थी से साजबाज है जिस कारण से प्रार्थी उक्त प्रकरण की सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय में नहीं करवा कर अन्य किसी समकक्ष न्यायालय में करवाना चाहता है, जिससे प्रार्थी के साथ न्याय प्राप्त हो सकेगा एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना की जा सकेगी। इसलिए यह मुन्तकिल प्रार्थना—पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिमी आया है। उपरोक्त मुकदमा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के समक्ष विचाराधीन है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रा0 पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

विचाराधीन राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधि0 प्रकरण संख्या 03/32/2019 बअनुवानी महेशचन्द बनाम शिव लहरी वगैरह आगामी तारीख पेशी 27.06.2024 को दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी का अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐलानिया बयान नहीं किया गया कि उक्त वाद का निर्णय उनके पक्ष में हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य झूठे एवं मनगढंत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की वहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण में विधि के अनुरूप बिना कोई भेदभाव के कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 09.05.2024 को तहसीलदार टहला को आदेशित किया गया कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार करें। तहसीलदार टहला द्वारा दिनांक 13.05.2024 को रिपोर्ट तैयार की गई। पीठासीन अधिकारी का अप्रार्थी से कोई संबंध नहीं है ना ही पीठासीन अधिकारी पर किसी प्रकार का दबाव है। पीठासीन अधिकारी द्वारा सी.पी.सी. के प्रावधानों एवं कोर्ट मैन्यूअल के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की राय किसी भी पक्षकार को नही दी गई है फिर भी उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान